राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 280/2024
GCMS No. 2024/537

सुनिता पुत्री स्व. श्री पूर्णमल जाति गुर्जर उम्र 25 साल निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

........वादीया

ब–ना–म

1. श्रवण देवी पत्नी स्व. श्री पूर्णमल आयु 50 साल जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
2. सुमित्रा कुमारी पुत्री स्व. श्री पूर्णमल आयु 28 साल जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व. श्री पूर्णमल आयु 22 साल जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
4. हंसराज पुत्र स्व. श्री पूर्णमल आयु 20 साल जाति गुर्जर निवासी तातीजा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व
धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादीया – श्री हवासिंह निर्वाण

:: निर्णय :: **दिनांक :–** 07.10.2025

वादीया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 196 खसरा नंबर 684 रकबा 1.19 है., ख.नं. 685 रकबा 1.40 है., ख.नं. 915 रकबा 1.35 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.94 है. भूमि में वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 का 5/210 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है एवं हाल खाता संख्या 81 के हाल खस[illegible] है [illegible] भूमि वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 लगातय 4 का 5/140 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है [illegible] भूमि खाता संख्या 80 के हाल भूमि खसरा नंबर 917 रकबा 1.76 है., [illegible] है, ख.नं. 919 रकबा 0.74 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है. भूमि के वादीया [illegible] प्रतिवादी सं. 1 लगा. 4 का हिस्सा 5/210 दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का दर्ज रिकार्ड है। वादीया को घर पर "सुनिता कुमारी पुत्री पूर्णमल" व "[illegible]ता पुत्री पूर्णमल" के नाम से यानि दोनों ही नामों से जाना व पहचाना जाता है। इसलिये वादीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

कानाम राजस्व रिकार्ड में सुनिता कुमारी पुत्री पूर्णमल दर्ज कर दिया जबकि वादीया का सही नाम "सुनिता पुत्री पूर्णमल" है जो उसके अन्य सभी लोक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, पेनउ कार्ड आदि में दर्ज है। इस प्रकार वादी का नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 196 खसरा नंबर 684 रकबा 1.19 है., ख.नं. 685 रकबा 1.40 है., ख.नं. 915 रकबा 1.35 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.94 है. भूमि में एवं हाल खाता संख्या 81 के हाल खसरा नंबर 714 रकबा 2.32 है. भूमि तथा हाल भूमि खाता संख्या 80 के हाल खसरा नंबर 917 रकबा 1.76 है., ख.नं. 918 रकबा 0.82 है., ख.नं. 919 रकबा 0.74 है. कुल किता 3 कुल रकबा 3.32 है. भूमि के वादीया का नाम "सुनिता कुमारी पुत्री पूर्णमल" के स्थान पर "सुनिता पुत्री पूर्णमल" की घोषणा किये जाने व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता सं. 80, खाता संख्या 196 व खाता संख्या 81 ग्राम तातीजा, फोटो प्रति आधार कार्ड सुनिता, आयकर विभाग का पेन कार्ड, जन आधार कार्ड व फोटो प्रति अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज0 पेश की गई।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीया सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादीया स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **तातीजा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 80, खाता सं. 81 व खाता सं. 196 में वादीया का वर्तमान में दर्ज **"सुनिता कुमारी पुत्री पुर्णमल"** के स्थान पर **"सुनिता पुत्री पुर्णमल"** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

सुनिता

ब–ना–म

श्रवण देवी आदि

दावा बाबत **घोषणात्मक व रिकार्ड दुरूस्ती**

मुकदमा नम्बर :– **280/2024** **GCMS No. 2024/537**

निर्णय दिनांक :– ...07:10:2025....

वादीया की ओर से **श्री हवासिंह निर्वाण एडवोकेट** की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख .... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादीया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम तातीजा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 80, खाता सं. 81 व खाता सं. 196 में वादीया का वर्तमान में दर्ज "सुनिता कुमारी पुत्री पुर्णमल" के स्थान पर "सुनिता पुत्री पुर्णमल" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्त खातों में शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ...07:10:2025............... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.10.29 16:14:47 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं